कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

ज्ञापांक ......71........., दिनांक ......20-01-2025......

प्रतिलिपि :– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि पृच्छित बिन्दुओं का पूर्ण एवं बिन्दुवार निराकरण प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

20/01/2025

for वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या–वन भूमि–02/2024– 32 व०प०, राँची, दिनांक– 03/01/2025

प्रेषक,

जलज कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची

विषय :– मेसर्स आलोक इण्डस्ट्रीज के मिनी प्लांट हेतु 9.27 हे0 वनभूमि अपयोजन के संबंध में।

प्रसंगः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक–FP/JH/ENCRH/39652/2019/724 दिनांक–02.12.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयगत परियोजना में की गई पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

3/1/2025

(जलज कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–वन भूमि–02/2024– 32 व०प०, राँची, दिनांक– 03/01/2025

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/Technical Head, Aloke Steel Industries Pvt. Opp. Ashok Cinema, Ranchi Road, Marar, Dist-Ramgarh-829117 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/1/2025

विशेष कार्य पदाधिकारी।

F.C.Act
10/01/2025

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल
पत्रांक– 125
दिनांक– 17/01/25

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email: pccf-ednodal@gov.in

ज्ञापांक 37 दिनांक 09/1/2025

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, बोकारो/वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़/उपायुक्त रामगढ़/मे0 आलोक स्टील इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 राँची रोड मरार रामगढ़ को इस कार्यालय के पत्रांक 1063 दिनांक 09.12.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय राँची द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का पूर्ण एवं बिन्दवार निराकरण प्रतिवेदन शीघ्र इस कार्यालय में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

09/01/25

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

9.1.25

भारत सरकार / Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय/ Regional Office
पता: द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय, हरमू चौक, राँची, झारखण्ड - 834002
Add: 2nd Floor, Headquarter-Jharkhand State Housing Board, Harmu Chowk, Ranchi, Jharkhand - 834002
Tel: 0651-2410002, 2410007; E-mail: ro.ranchi-mef@gov.in

सत्यमेव जयते

प्रकृतिः रक्षति रक्षिता
Nature Protects if She is Protected

संख्या: FP/JH/ENCRH/39652/2019/*724* दिनांक: 02.12.2024

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक- सह – नोडल पदाधिकारी (एफ. सी.)
वन, पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड सरकार,
वन भवन, डोरंडा, राँची

विषय:-आलोक स्टील इंडस्ट्रीज के प्लांट हेतु 9.27 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में वांछित अतिरिक्त सूचना के संबंध में।

महाशय,

विषयान्तर्गत मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि जैसा कि श्रीमान को विदित है, प्रकरण के वनभूमि अतिक्रमण –नियमितीकरण से सबंधित होने के कारण सबंधित स्थल का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 17/5/2024 को किया गया था जिस दौरान कुछ सूचनाएँ चाही गईं थीं। इस क्रम में वन-प्रमंडल पदाधिकारी तथा अंचल आधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन तथा पत्रांक 890 दिनांक 20/8/2024 (क्रमशः) में सबंधित गैर मजरूआ जंगल – झाड़ी किस्म जंगल भूमि का पूर्व से ही दाखिल–ख़ारिज के आधार पर जमाबंदी कायम होना एवं लगान रसीद निर्गत होना बताया गया है किन्तु इसके सापेक्ष किसी प्रकार का साक्ष्य – दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे यह स्थापित किया जा सके कि संदर्भित वन-भूमि 1980 से पूर्व (वन-प्रमंडल पदाधिकारी के स्थल-प्रतिवेदनानुसार 1940-60 के मध्य) कृषि कार्यों हेतु बंदोबस्तित किया जा चुका था।

अतः निवेदन है कि वांछित साक्ष्य दस्तावेज इस कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे लंबित प्रकरण में अग्रिम करवाई सुनिश्चित की जा सके।

विश्वासभाजन

Signed by Shashi Shankar Pathak
Date: 04-12-2024 11:55:14
(शशि शंकर)
उप वन महानिरीक्षक

प्रतिलिपि (सूचार्थ एवं आवश्यक करवाई हेतु):-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)/सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, वन भवन/नेपाल हाउस, डोरंडा, राँची।
2. उपायुक्त, रामगढ/ वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़।